

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 176/2001

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री दौलत शर्मा।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री आदित्य पारीक।

:: आदेश ::

30.10.2018

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या—34034/2018 अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों व आधारों एवं योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी की अनापत्ति को ध्यान में रखते हुए उक्त विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अपील शीर्षक से प्रत्यर्थी संख्या—1/1 का नाम डिलीट करने का निर्देश दिया जाता है।

संशोधित शीर्षक अपील पत्रावली पर प्रस्तुत हो चुका है, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उसे उचित स्थान पर पत्रावली में संलग्न किया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—